उ0प्र0 में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान पूछे गये प्रश्न

1. प्रश्नः मेरे द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली पर कार्य करने हेतु Class-II, Signing and Encryption का डिजिटल सिग्नेचर बना लिया गया है। कृपया बताये कि मै यह कैसे चेक करू कि मेरे डिजिटल सिग्नेचर में दोनो सर्टिफिकेट है अथवा नही ?

   उत्तर : डिजिटल सिग्नेचर बनाने के उपरान्त कम्प्यूटर डेस्कटॉप के USB पोर्ट पर लगाने पर उसके ड्राइवर (Driver) को Install करना पड़ता है, ड्राइवर Install करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर के टोकन प्रदाता (जिस कम्पनी का टोकन है) का एप्लीकेशन डेस्कटॉप पर आ जाता है, उसको खोलकर और डिजिटल सिग्नेचर यू0एस0बी0 पोर्ट पर लगा होने के साथ View Certificate में जाकर में एक Certificate (Signing) है या दो Certificate (Encryption) देखे जा सकते है।

2. प्रश्नः डिजिटल सिग्नेचर के ड्राइवर (Driver) कम्प्यूटर डेस्कटाप पर कैसे और कहॉ से अपलोड किये जायेगे।

   उत्तरः डिजिटल सिग्नेचर जो कि एक पेन ड्राइव नुमा टोकन में होता है, में Driver Software In-built होता है और टोकन को USB पोर्ट पर लगाने के उपरान्त auto play होता है अथवा desktop/laptop के My Computer में जाकर भी setup.exe फाईल (file) को run कराकर Install किया जा सकता है।

3. प्रश्नः सम्पूर्ण प्रदेश में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य मुख्यालय/मण्डल/जनपद स्तर पर किस प्रकार नोडल अधिकारी तथा क्रय समिति के सदस्यों को ई–टेण्डर पोर्टल पर नामित/रजिस्टर किया जा सकता है।

   उत्तर : सर्वप्रथम सम्बन्धित विभाग के विभागध्यक्ष द्वारा राज्य मुख्यालय पर ई–टेण्डर प्रणाली लागू करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना होगा तथा इस आशय का एक कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति एनआईसी तथा यूपीएलसी को पृष्ठांकित की जायेगी।

   (ii) नोडल अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ एनआईसी योजना भवन में एनआईसी के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित्र विभाग को नोडल अधिकारी के माध्यम से ई–टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in पर रजिस्टर कराना होगा।

   (iii) तत्पश्चात राज्य मुख्यालय/मण्डल/जनपद स्तर पर क्रय समिति के सदस्यों को नोडल अधिकारी द्वारा User Creation Data Sheet भरवाकर निम्नलिखित बिन्दु संख्या–(4) के अनुसार रजिस्टर कराना होगा।

4. राज्य मुख्यालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा मुख्यालय/मण्डल/ जनपद स्तर पर क्रय समितियों के सदस्यों को ई–टेण्डर पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया

(1) सर्वप्रथम क्रय समिति के सदस्य द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध User Creation Data Sheet भरकर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जानी होगी।

(2) तत्पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर द्वारा लॉगिन करने के उपरान्त, बायें तरफ Dash Board में उपलब्ध Create Department User Section में जाकर 'New User' को क्लिक करना होगा।

(3) "New User" Click करने के उपरान्त User द्वारा दिये गये प्रपत्र के अनुसार उस User का Registration उसके Level के अनुसार डिपार्टमेण्ट का नाम, डिवीजन का नाम, सब–डिवीजन का नाम, ब्रांच और ब्लॉक का चयन करने के उपरान्त, "Next" बटन पर Click करना होगा।

(4) Level का चयन करने के उपरान्त उस Particular User की Personal Detail और Contact Detail के साथ–साथ दिये गये User Role Section में नोडल अधिकारी को छोड़कर दिये गये शेष 04 बॉक्स (Publisher, Opener, Evaluator, Procurement Officer Admin)पर टिक लगाने के उपरान्त सबमिट (Submit) बटन पर Click करना होगा।

(5) उसके उपरान्त बाये तरफ दिये गये Dash Board में उपलब्ध Reset Password Section में जाकर, उस Particular User जिसका अभी–अभी Registration किया गया है, उसकी Login ID को भरकर Search करने के उपरान्त Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

(6) इस प्रकार नोडल अधिकारी के द्वारा विभागीय यूजर (Departmental User) का Registration पूरा हो जाता है, इसके उपरान्त सम्बन्धित यूजर (User) अपने डिजिटल सिग्नेचर को ई–पोर्टल https://etender.up.nic.in पर जाकर नोडल आफिसर द्वारा दिये हुये Login ID तथा Password के द्वारा Login करके अपने डिजिटल सिग्नेचर को Enroll कर सकते है।

5. राज्य मुख्यालय/मण्डल/जनपद स्तर के क्रय समिति के सदस्य अपने मूल विभाग द्वारा गठित क्रय समिति के सदस्य के रूप में ही नामित रहेगें। अपने मूल विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग की क्रय समिति में उनके डिजिटल सिग्नेचर उपयोग नही किये जा सकते है। यद्यपि उनके द्वारा वर्तमान प्रक्रिया के समान ही पूर्व की भॉति क्रय समिति के सदस्यों के रूप में मण्डल/जनपद स्तरीय क्रय समिति में प्रतिभाग किया जा सकता है।